

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन शाखा)  
अधिघोषणा  
शुद्धि पत्र

परियोजना का नाम-आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के भूमि बैंक निर्माण।

मौजा का नाम-ठेरा थाना नं०-489, थाना-बिहार, जिला-नालन्दा

दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" एवं "कौमी तंजीम" में क्रमशः दिनांक 11.5.12 एवं 12.5.12 के पृष्ठ 10 एवं 09 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक संख्या-07 दिनांक 11.05.12 के पृष्ठ सं० 01 पर प्रकाशित अधिघोषणा सं० 960 दिनांक 25.04.12 को निम्नांकित संशोधन के साथ पढ़ा जाय।

(1) दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" की पंक्ति 83 एवं "कौमी तंजीम" की पंक्ति 110 तथा "जिला गजट" की पंक्ति 60 पर प्रकाशित अंश खेसरा सं० 2995 के स्थान पर 2495 पढ़ा जाय।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
नालन्दा।

अपर समाहर्ता  
नालन्दा।

समाहर्ता  
नालन्दा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञा० सं०-14/डी०एल०ए० (आधारभूत संरचना)-नालन्दा-45/12-...../3...../रा०, पटना-15, दिनांक-०५/०१./2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को (तीन प्रतियों में) सी०डी० के साथ दो समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं उसकी प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय नालन्दा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।